उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7
संख्या– 26 / XXVII(7) / 2008
देहरादून: दिनांक 30 जनवरी, 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स नियम, 1961 उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) नियमावली, 2009

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1)– इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रिटायरमेन्ट बेनिफिटस (संशोधन)नियमावली, 2009 है।

(2)–यह दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2– नियम 2 के उपनियम(3) का संशोधन

उत्तरांचल(उ0प्र0 रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स नियम, 1961) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) के नियम–2 के उपनियम–(3) में नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
"(3) यह नियमावली राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में पेंशनी स्थापना सेवाओं और पदों पर, चाहें वे अस्थायी हो या स्थायी हों, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके पश्चात प्रवेश करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।"	"(3) यह नियमावली राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में पेंशनी स्थापना सेवाओं और पदों पर, चाहें वे अस्थायी हों या स्थायी हों, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके पश्चात प्रवेश करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी; परन्तु यह की जो कर्मचारी दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके बाद राज्य सरकार की किसी सेवा में नये नियुक्त हुये है परन्तु वे उक्त तिथि के पूर्व उत्तराखण्ड राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा में थे और पुरानी पेंशन हितलाभ योजना से आच्छादित थे तथा जिनकी पुरानी राजकीय सेवा और नई राजकीय सेवा के मध्य कोई व्यवधान नहीं हुआ हैं, ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन हितलाभ योजना से ही आच्छादित होगें।

Alok Jain

संख्या:- 26 / XXVII(7) / 2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
11. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त